बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक–13.03.2026

संचिका संख्या–03/आ02–68/2015.i/379282/ पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक–920 दिनांक 26.05.2015 से निगरानी थाना कांड संख्या–040/2015 दिनांक 20.05.2015 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री सुनील कुमार, तत्कालीन उप सचिव–सह–प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल के द्वारा दिनांक 20.05.2015 को परिवादी श्री मदन बिहारी सिंह से 50000/– रुपये (पचास हजार रुपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की प्राप्त सूचना के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–487 दिनांक 11.06.2015 द्वारा श्री सुनील कुमार को निलंबित किया गया।

2. न्यायिक हिरासत में रहने के उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2015 के अपराह्न में न्यायिक हिरासत से मुक्त करने के पश्चात श्री कुमार द्वारा दिनांक 31.07.2015 के पूर्वाह्न में विभाग में योगदान दिया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(3)(2) के तहत पुनः दिनांक 31.07.2015 के अपराह्न के प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प संख्या–964 दिनांक 12.10.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंतर्विष्ट आरोप निम्नवत् हैं :–

आरोप संख्या 01 – आपको निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावा दल द्वारा दिनांक 20.05.2015 को परिवादी श्री मदन बिहारी सिंह से 50,000/–(पचास हजार) रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा इस संबंध में आपके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–040/2015 दिनांक 20.05.2015 दर्ज किया गया है। आपका यह कृत्य बिहार लोक सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3 उप नियम–1 के प्रावधानों के विरुद्ध है, जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

आरोप संख्या 02 – आपके द्वारा पदीय कर्त्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए परिवादी श्री मदन बिहारी सिंह, ग्राम–तारणपुर, थाना–गौरीचक, जिला–पटना से लाल जी सिंह सुदर्शन उच्च माध्यमिक विद्यालय, तारणपुर (कुडा) का बिहार इन्टरमीडियट कॉउन्सिल से सम्बद्धता प्रदान करते हेतु रिश्वत की मांग की गयी। आपका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3, उप नियम–1, 2 एवं 3 के प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लंघन है, जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

4. श्री सुनील कुमार के विरूद्ध विधि विभाग के आदेश संख्या–131 दिनांक 24.07.2015 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–1431 दिनांक 10.08.2015 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–51/2015 दिनांक 17.07.2015 सक्षम न्यायालय में समर्पित किये जाने की सूचना दी गयी।

5. आरोपी पदाधिकारी, श्री सुनील कुमार द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन पर रोक लगाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–1848/2016 दायर किया गया। सुनवाई के क्रम में दिनांक 01.03.2016 को पारित आदेश में सीमित अवधि 09 से 10 माह तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने तथा इस अवधि में निगरानी केस यदि निष्पादित नहीं होता है, तो वादी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही को जारी रखने पर विचार करने संबंधी न्यायादेश पारित किया गया। उक्त पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर एल.पी.ए. वाद संख्या– 2078/2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 19.12.2017 को खारिज कर दिया गया।

6. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में यह मंतव्य अंकित किया गया है कि सम्पूर्ण तथ्यों एवं अभिलेखों के अनुशीलन एवं संबंधित पक्षों के सुनने के उपरान्त यह निर्विवाद तथ्य है कि आरोपित पदाधिकारी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 20.05.2015 को रंगे हाथों 50,000/– (पचास हजार रूपया मात्र) घूस लेते हुए पकड़ा गया था तथा यह मामला वर्तमान में विशेष निगरानी न्यायालय, पटना में निर्णयाधीन है। इतना ही नहीं एक लोक सेवक (Public Servant) द्वारा अवैध एवं नाजायज रूप से पैसा लेना अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का कृत्य है तथा सरकारी पदाधिकारी द्वारा यह कुकृत्य गंभीर कदाचार का प्रतीक है। राज्य सरकार द्वारा इसे गंभीरतम दोष मानते हुए Zero Tolerance की नीति अपनायी गयी है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, संबंधित साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर संचालन पदाधिकारी का यह निष्कर्ष है कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है।

7. उक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–153 दिनांक 01.03.2019 द्वारा श्री सुनील कुमार से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। श्री सुनील कुमार द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है जिसमें मुख्य रूप से यह अंकित किया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा सिर्फ प्रपत्र 'क' को देखकर आरोप प्रमाणित किया गया है। गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में आये तथ्यों पर अपना मंतव्य अंकित नहीं किया गया है, जो दुर्भावना से प्रेरित हरकत को दर्शाता है। उनके द्वारा यह भी लिखा गया है कि बिना परिवादी, स्वतंत्र गवाह एवं सारे धावा दल सदस्यों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के यह निष्कर्ष निकालना की आरोप प्रमाणित है, उनकी अज्ञानता का सूचक है। उनके द्वारा आरोप से संबंधित सारे कागजात उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए गवाहों का बयान और उनका प्रतिपरीक्षण कराने का अनुरोध किया गया। इन्होंने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(1) एवं (2) तथा कई याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का संदर्भ करते हुये उनके विरूद्ध की जा रही कार्रवाई को गलत ठहराया।

8. सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत श्री कुमार के लिखित अभ्यावेदन के साथ संलग्न अनुलग्नक–13, 14, 15 के रुप में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में इस मामले पर विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त किए जाने का आदेश दिया गया। तदालोक में संचिका विधि विभाग को भेजी गयी। विधि विभाग द्वारा परामर्श दिये जाने से पूर्व विभागीय कार्यवाही की स्थिति एवं निगरानी थाना कांड संख्या की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी की अपेक्षा की गई।

9. श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–964 दिनांक 12.10.2015 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश ज्ञापांक–118262 दिनांक 09.03.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। साथ ही विभागीय पत्रांक–134550 दिनांक 27.05.2024 द्वारा उक्त कांड की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से पत्राचार किया गया।

10. विशेष लोक अभियोजक निगरानी ट्रैप, पटना द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 31.07.2015 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोप पत्रित धाराओं में अपराध का संज्ञान लिया गया है। माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2023 को अभियुक्त के द्वारा दायर धारा–239 दं.प्र.सं. के आवेदन को खारिज किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2024 को आरोप गठन किया गया है।

11. इस वस्तुस्थिति से विद्वान महाधिवक्ता को अवगत कराते हुए परामर्श प्राप्त कराने हेतु संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गयी। महाधिवक्ता द्वारा परामर्श दिया गया कि ----the disciplinary authority may examine and if satisfied, needs to take corrective action immediately by remanding the matter to the enquiry officer for conducting the enquiry strictly in accordance with Bihar C.C.A Rules, 2005.

12. विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री सुनील कुमार के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत संकल्प संख्या–137 दिनांक 27.01.2025 द्वारा पुनः जाँच हेतु अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

13. श्री सुनील कुमार, तत्कालीन उप सचिव–सह–प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी, द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें उनका मंतव्य है कि आरोपित पदाधिकारी श्री सुनील कुमार द्वारा परिवादी श्री मदन बिहारी सिंह से रिश्वत की माँग की गयी और रिश्वत लेते हुए निगरानी के घावादल द्वारा जेल भेजे गये। आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार का यह कृत्य उनके पदीय दायित्व एवं कर्तव्य का दुरूपयोग तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1), (2) एवं (3) के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया परिलक्षित होता है। अतएव आरोप पत्र में आरोपित पदाधिकारी श्री सुनील कुमार तत्कालीन उप सचिव–सह–प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के विरूद्ध प्रतिवेदित पदीय दायित्व एवं कर्त्तव्य का दुरूपयोग तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1), (2) एवं (3) के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप प्रमाणित होता है।

14. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने के उपरांत विभागीय पत्रांक–250614 दिनांक 09.06.2025, स्मार पत्रांक–269412 दिनांक 21.07.2025, स्मार पत्रांक–302516 दिनांक 06.10.2025 एवं स्मार पत्रांक–314121 दिनांक 29.10.2025 से श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई। श्री कुमार द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है जिसमें मुख्य तथ्य यह वर्णित है कि शिक्षा विभाग के संकल्प सं.–3/आ.2–68/2015/137 दिनांक 27.01.2025 द्वारा सेवानिवृत्ति के लगभग 6 वर्ष बाद उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) अन्तर्गत पुनः जाँच (Denovo Enquiry) का निर्णय लिया गया है जो विधिसम्मत नहीं है तथा कानून एवं CCA नियमावली के विरूद्ध है। इनका कहना है कि उनका मामला No Evidence पर आधारित है। उनके मामले में पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–920/अप. शा. दिनांक 26.05.2015 के साथ प्राथमिकी की छाया प्रति को विभागीय कार्यवाही का मुख्य साक्ष्य बनाया गया है। लिखित अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है।

15. आरोपों के संदर्भ में प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा आरोपी पदाधिकारी के लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई है। यह ज्ञात होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा जिन अभ्यावेदनों का जिक्र किया गया है उसके संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में यह अंकित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा सुनवाई की तिथियों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गयी परन्तु उनके द्वारा आरोप के संदर्भ में ना कोई पक्ष समर्पित किया गया और ना ही अपना बचाव बयान समर्पित किया गया। वे सिर्फ मूल तथ्यों को छोड़कर अन्य बातों यथा 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही का सपरिवर्तन नियमानुकूल नहीं है, के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किये हैं। न्यायालय से आदेश आने तक विभागीय कार्यवाही नहीं किये जाने इत्यादि का ही अपने आवेदनों में उल्लेख किया जाता रहा है। आरोपित पदाधिकारी इस मामले को लंबित रखने के मात्र उद्देश्य से ही अनावश्यक तथ्यों का उल्लेख कर मामले को उलझाने का प्रयास करते रहे हैं। समीक्षा में यह विनिश्चित होता है कि इनके द्वारा पदीय कर्त्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए लाल जी सिंह सुदर्शन उच्च माध्यमिक विद्यालय, तारणपुर (कुडा) का बिहार इन्टरमीडियट कॉउन्सिल से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु रिश्वत की मांग की गयी। उनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3, उप नियम–1, 2 एवं 3 के प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लंघन है और जांच प्राधिकार द्वारा इन आरोपों को प्रमाणित भी पाया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गलत मुकदमा किए जाने की जो बात अपने अभ्यावेदन में कही गई है, वह इस स्तर पर इसलिए विचारणीय नहीं है कि उससे संबंधित न्यायिक कार्रवाई संचालित है एवं वहां इसके गुण–दोष पर निर्णय होगा। इस विभागीय कार्यवाही में संबंधित सरकारी सेवक के प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में चूक, कदाचार एवं भ्रष्ट आचरण के आरोपों पर विचार किया जा रहा है। अतएव इनका लिखित अभ्यावेदन स्वीकारणीय नहीं पाए जाने के कारण अस्वीकृत किया गया।

16. श्री सुनील कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अंतर्गत " 100 प्रतिशत पेंशन राशि की कटौती किये जाने" की वृहद शास्ति सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

17. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4904 दिनांक 09.03.2026 द्वारा श्री सुनील कुमार, तत्कालीन उप सचिव–सह–प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर सहमति प्रदान की गई है।

18. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुनील कुमार, तत्कालीन उप सचिव–सह–प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

" 100 प्रतिशत पेंशन राशि की कटौती किये जाने" की वृहद शास्ति।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह./–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/ आ02–68/2015 ...i/379282/ पटना, दिनांकः–13.03.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार एवं श्री सुनील कुमार, तत्कालीन उप सचिव–सह–प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त पता–म0आई0जी0एच0–250, लोहियानगर, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना–800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 13-03-2026 13:22:23
निदेशक (प्रशासन)